न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-40RAAJodhpur2024-27RTA225 Kamadevi ors Vs Kesu etc

01. कमादेवी पत्नी श्री जोराराम
02. जोराराम पुत्र श्री रामकिशन
03. पांचाराम पुत्र श्री रामकिशन
04. मोहनराम पुत्र श्री रामकिशन
05. रोशनी पत्नी श्री सुगनाराम
06. सुगनाराम पुत्र श्री रामकिशन

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- रामपुरा तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. केसु पुत्री श्री रामलाल
02. पालुदेवी पत्नी श्री रामलाल
03. भागीरथराम पुत्र श्री रामलाल
04. मगनाराम पुत्र श्री रामलाल
05. राजुराम पुत्र श्री रामलाल
06. सुआ पुत्री श्री रामलाल
07. सुखराम पुत्र श्री रामलाल

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- रामपुरा, तहसील बाप, जिला फलोदी।

08. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 118/2023 कमा देवी बनाम केसु इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 118/2023 अनवान कमा देवी बनाम केसु इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 15 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नं. 441 रकबा 291.02 बीघा,; वर्तमान खसरा नं. 441 एवं 441/1 ग्राम राणेरी तहसील बाप के संबंध धारा 131 भू-राजस्व अधिनियम एवं धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का राजस्व वाद संख्या 93/90 में राजीनामा से पारित डिक्री के जरिये विभाजन हो चुका है तथा उसी विभाजन अनुसार पक्षकारान् मौके पर काबिज काश्त है। उक्त बंटवाड़े की डिक्री आज दिनांक तक बहाल है, जिसे किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई तथा न ही इसे खारिज किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार पृथ्यकरण कार्यवाही चालू है, जिसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलावट करते हुए पूर्व विभाजन एवं मौके के विपरीत जाकर अपनी मनमर्जी से गलत तरमीम करवा ली जो कानूनन गलत होने से निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के हिस्से वाली भूमि अपने बंट में रख ली तथा वर्षो से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चल रहे मार्ग को भी अपने हिस्से में रख लिया, जिससे अपीलार्थीगण का आवागमन बंद हो गया तथा भारी असुविधा हो रही है, इस आधार पर भी आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपीलाधीन आदेश के जरिये निरस्त कर दिया गया। रेस्पोडेंट्स को गलत तरमीम के आधार पर अपीलांट्स की भूमि मे दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट्स मौके निर्माण कार्य कर अपीलांट्स के हिस्से वाली भूमि पर कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में चाहा गया वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान तरमीम पक्षकारान् के मौके पर कब्जे काश्त एवं पूर्व में पारित बंटवाड़े की डिक्री के अनुसार ही की गई है। मौके पर पक्षकारान् के अलग-अलग नलकूप खुदवाये गये है तथा चारो तरफ तारबंदी की जाकर अपनी-अपनी हद में खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है। खसरा नं. 441, 441/2, 441/3, 441/4 व 441/1 की तरमीम पूर्ण पक्रिया अपनाकर खातेदारान् के कब्जा व काश्त के अनुसार ही की गई है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स को परेशान एवं हैरान करने के लिए वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात मूल खसरा नं. 441 के विभाजन बाबत पक्षकारान् की ओर से सहायक कलक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 93/90 अनवान रामकिशन बनाम रामलाल में राजीनामा के जरिये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1992 पारित किये जाकर वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किया जाना प्रतीत होता है। अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में सेग्रीगेशन की कार्यवाही के दौरान हुई तरमीम पूर्व वाद में जारी निर्णय एवं डिक्री के विपरीत पारित की गई हैं। विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते मौके पर पक्षकारान् में विवाद न हो तथा वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द न हो, इसलिए वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 118/2023 अनवान कमा देवी बनाम केसु इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2023 अपास्त किया जाकर उभय पक्ष को विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तक पाबंद किया जाता है कि वे परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजीयात मूल खसरा नं. 441 रकबा 291.02 बीघा(समस्त बट्टा नंबरान्) के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर